

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठारीन अधिकारी-श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 - 26/2019

1. हेतराम पुत्र लाखाराम जाति विश्नोई निवासी चक रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी---

वनाम्

1. आत्माराम पुत्र हेतराम जाति विश्नोई निवासी चक 1 डीओएल रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
2. गोपीराम पुत्र हेतराम जाति विश्नोई निवासी चक 1 डीओएल रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
3. हनुमान पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी चक 30 एस रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
4. रामनारायण पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी चक 30 एस रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
5. हेतराम पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी चक 30 एस रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
6. हंसारज पुत्र लालूराम जाति विश्नोई निवासी चक 30 एस रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर
7. परमेश्वरी पुत्री लालूराम जाति विश्नोई निवासी चक 30 एस रावला तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर

अप्रार्थीगण---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

निर्णय

दिनांक : 28/11/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम चक 60 एलएनपी के खाता संख्या 134/133 के मु0न0 56 के किला न0 7/1, 13 से 25 में 3.100 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की उक्त भूमि में आने जाने के लिए कोई मंजूरशुदा रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी रास्ता मंजूर करवाने का अधिकारी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। प्रार्थी की उक्त भूमि के लिए रास्ता मंजूरशुदा नहीं है, एक मात्र चालू रास्ता मु0न0 56 के किला न0 11,10,9,4,5 में चालू मंजूरशुदा रास्ता से किला न0 11 से 20 की ओर ही है चूंकि उक्त रास्ता ही उपर्युक्त रास्ता है जिसमें प्रार्थी अपनी उक्त भूमि में प्रवेश कर सकता है। उक्त मु0न0 56 के किला न0 11 की भूमि अप्रार्थीगण



20
(सुभाष कुमार)
अधिकारी
(राजस)

के नाम दर्ज है। अब प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को उक्त मु0न0 56 के किला न0 11 में रास्ता मंजूर कराने के लिए कहा तो उन्होंने इंकार कर दिया है जो कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण है। प्रार्थी अपनी भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ता मंजूर कराने का अधिकारी है। प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले प्रावधानों के अनुसार डीएलसी की दर से दुगुनी राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि चक 60 एलएनपी का मु0न0 56 के किला न0 20 में प्रवेश के लिए अप्रार्थी की भूमि चक 60 एलएनपी का मु0न0 56 का किला न0 11 में 2 बिस्वा रास्ता मंजूर करने का आदेश दिया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में पक्षकारान के मध्य पंचायत द्वारा लोक अदालत की भावना से राजीनामा करवा दिया गया है। राजीनामा अनुसार अप्रार्थीगण चक 60 एलएनपी के मु0न0 56 के किला न0 11/2 में 0.0076 है0 भूमि रास्ता के तौर पर प्रार्थी को देंगे। प्रार्थी हेतराम अप्रार्थीगण को मु0न0 56 के किला न0 20 में 0.0153 व किला न0 21 में 0.0154 है0 कुल 0.0307 है0 भूमि रास्ता के रूप में देगा। अप्रार्थीगण चक 60 एलएनपी के मु0न0 56 के किला न0 7/3 रकबा 0.139 है0 में 0.0231 है0 भूमि प्रार्थी हेतराम को देंगे। पक्षकारान इसी अनुसार प्रकरण का निस्तारण कराने को सहमत है एवं राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि राजीनामा अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने के आदेश दिये जावें। राजीनामा तस्दीक कर शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा, का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण का राजीनामा अनुसार निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः चक 60 एलएनपी के मु0न0 56 के किला न0 11/2 में 0.0076 है0 रकबा में रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रास्ता की एवज् में प्रार्थी हेतराम, अप्रार्थीगण को चक 60 एलएनपी के मु0न0 56 के किला न0 20 में 0.0153 है0 व किला न0 21 में 0.0154 है0 कुल 0.0307 है0 भूमि रास्ता के रूप में देगा एवं अप्रार्थीगण चक 60 एलएनपी के मु0न0 56 के किला न0 7/3 रकबा 0.139 है0 में से 0.0231 है0 भूमि, प्रार्थी हेतराम को देंगे। निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 28/1/2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

